

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2023

संख्या 01/2023- एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 143(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप धारा (5) और धारा 148 के साथ पठित, एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 6 की उप धारा (1) और धारा 20 के उपवाक्य (xxv) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 09/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 684 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 3 में, स्पष्टीकरण में, खंड (iv) के बाद, निम्नलिखित खंड को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(iva) शंकाओं के निवारण हेतु, यह स्पष्ट किया जाता है कि शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सहित केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड या निकाय को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा के संचालन के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने के सीमित उद्देश्य के लिए शैक्षिक संस्थान माना जाएगा।"

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 मार्च, 2023 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/21/2023- टीओ (टीआरयू-II) सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या- 9/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 684 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 15/2022- एकीकृत कर (दर), दिनांक 30 दिसम्बर, 2022 सा.का.नि 927 (अ), दिनांक 30 दिसम्बर, 2022 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2023

No. 01/2023 - Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 143(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) and sub-section (4) of section 5, subsection (1) of section 6 and clause (xxv) of section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), read with sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) No.9/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 684 (E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in paragraph 3, in the *Explanation*, after clause (iv), the following clause shall be inserted, namely: -

“(iva) For removal of doubts, it is clarified that any authority, board or body set up by the Central Government or State Government including National Testing Agency for conduct of entrance examination

for admission to educational institutions shall be treated as educational institution for the limited purpose of providing services by way of conduct of entrance examination for admission to educational institutions.”.

2. This notification shall come into force with effect from the 01st March, 2023.

[F. No. CBIC-190354/21/2023-TO(TRU-II)-CBEC]

RAJEEV RANJAN Under Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification no. 9/2017 - Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, vide number G.S.R. 684 (E), dated the 28th June, 2017 and last amended vide notification no. 15/2022 - Integrated Tax (Rate), dated the 30th December, 2022 published in the official gazette vide number G.S.R. 927 (E), dated the 30th December, 2022.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2023

संख्या 02/2023- एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 144(अ).—एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 10/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 685 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, स्पष्टीकरण में, खंड (ज) में, "और राज्यों के विधान मंडल" शब्दों के स्थान पर शब्दों ", राज्यों के विधान मंडल, न्यायालयों और न्यायाधिकरणों" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 01 मार्च, 2023 से लागू होगी होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/21/2023- टीओ (टीआरयू-II) सीबीआईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 10/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.नि. 685 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 05/2022-एकीकृत कर (दर), दिनांक 13 जुलाई, 2022, सा.का.नि. 548 (अ), दिनांक 13 जुलाई, 2022 के तहत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2023

No. 02/2023- Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 144(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.10/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 685(E), dated the 28th June, 2017, namely:-